e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 12, Issue 6, June 2023

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.423

9940 572 462 | 6381 907 438 | ijirset@gmail.com | www.ijirset.com

International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

वर्तमान सरकार एवं महिला सशक्तिकरण

Dr. Anchal Meena

Assistant Professor, Govt. College, Rajgarh, Alwar, Rajasthan, India

सार

नारी को भारतीय समाज में उचित सम्मान दिया जाता है। परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है। क्योंकि समाज में भिन्न - 2 प्रकार की सोच एव विचारधारा वाले लोग रहते है। कुछ लोग महिलाओं को पुरुषों से कमजोर मानते है। ये महिलाओं को निम्न दृष्टि से देखते है नारी सशक्तिकरण और नारी अधिकार का मुद्दा प्राचीन काल से ही समाज का मुख्य मुद्दा रहा है और वर्तमान समय में भी नारी अधिकारवाद और नारी सशक्तिकरण का मुद्दा ज्वलंत हैं। 1

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उसकी क्षमता, स्वतंत्रता एवं मुक्ति का बोध कराते हुए इतना सशक्त बना देना कि वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनो स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बन सके। 2 वास्तव में महिला सशक्तिकरण न केवल भारत बल्कि विश्वभर में राजनीति के साथ - 2

सामाजिक व प्रशसनिक मुद्दा भी बना हुआ है। जिसका सूत्रपात संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरूआत से हुआ है।

महिलाओं के लिए सरकारी योजना क्या है : केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश के नागरिको के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू किये हैं, जिनमे कुछ योजना किसानो के लिए और कुछ योजना देश के युवाओं के लिए इसके साथ ही बहुत से योजनाएं महिलाओ के लिए भी है। आज हम आपको महिलाओं के लिए सरकारी योजना क्या है इसके अंतर्गत कुछ योजनाओ की जानकारी देंगे जो महिलाओं के लिए लागु किया गया है। इसके माध्यम से महिलाएं भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है जो वो करना चाहती है इन योजनाओं के माध्यम से कर सकती है। जैसे कड़ाई, बुनाई या सिलाई जो उनकी रूचि होगी और वे ये काम करना चाहती होंगी तो इन योजनाओ के माध्यम से कर सकती हैं।

इन योजनाओं से सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। लड़कियों को समाज में कम सम्मान दिया जाता है बचपन से ही उन्हें घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता इसलिए समाज में उन्हें पुरुषो के सामान सम्मान दिलाने के लिए योजना लागु किये हैं। जिससे महिलाएं भी पुरुषों से कंधे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ सके। समाज में लड़कियों के प्रति नजरिया बदल सके, लड़कियों को बोझ न समझा जाये इसके लिए भी योजनाएं है जिसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति

महिला सशक्तिकरण आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण समस्या है। आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नही है जहाँ महिलाओं के अधिकारों उनके सम्मान तथा उनकी अस्मिता को बचाये रखने की चर्चा न की जा रही हो। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की आधी आबादी में महिलायें है। 3

नारी मानव समाज का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग है। मानव जाति की सभ्यता तथा उसके विकास में नारियों की अहम भूमिका रही है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है जब हम स्त्री विर्मश की बात करते है तो उसका सीधा अर्थ सामाजिक विकास का आकलन स्त्री शिक्षा, उसका आर्थिक स्वालबन और उसके निर्णय लेने की क्षमता से किया जा सकता।

परन्तु आजादी के 70 वर्ष के बाद हम पाते है कि समतामूलक समाज बनाने में भारत की प्रगति धीमी और निराशजनक है। महिलाओं के प्रति भेदभाव आज भी फलफूल रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा रोजगार के अवसर और सोशल नेटवर्क ने जहाँ कुछ महिलाओं को मुर्खता प्रदान की वही अब भी बहुत सी महिलाएं परिवार, परम्परा, धर्म और संस्कृति के नाम पर अन्याय सहन कर रही है। 4

इक्कीसवीं सदी का पहला व महिला सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं की क्षमता विकास करके उन्हें अधिक सशक्त बनाने तथा समग्र समाज को महिलाओं में अपनी स्थिति और भूमिका के बारे में

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

जागरूकता लाने के प्रयास किए गए। परन्तु ये सभी प्रयास प्रमुख रूप से महानगरों और शहरों तक ही सीमित है। गाँवों तक इन कार्यो की कुछ खबरें तो अखबारों तथा जनसचांर - माध्यमों के जरिये पहुंचती है, लेकिन जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र इन उपायों के प्रभाव से लगभग अछुते ही रहते है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश ग्रामीण महिलाए सम्भावनाओं और क्षमताओं से युक्त होने के बावजूद सशक्तिकरण या अधिकार चेतना से वंचित रहती है। सशक्तिकरण के बुनियादी मानदण्डों के आधार पर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, योगदान और आगे बढने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी उपेक्षा का शिकार है। उन्हें भी सशक्त बनाना राष्ट्र की अनिवार्य आवश्यकता है। 5

ग्रामीण समाज में औरतें आज भी परिवार और समाज के शोषण शिकार है। लड़कियों का जन्म गांव में आज भी अषुभ माना जाता है। कुछ समुदायों में तो पैदा होते ही लड़की को मार दिया जाता है। 6 वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए, भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाए एंवम् कार्यक्रम चलाएं गए है जो निम्न प्रकार से हैः –

- लाडली। 7
- स्वयंसिद्धा। 8
- हरियाणा कन्या कोष। 9
- दहेज निषेध कार्यक्रम। 10
- सुरक्षित भविष्य योजना 11
- बालिका समृद्धि योजना। 12
- सर्वोत्तम माता पुरस्कार। 13
- किषोरी शक्ति योजना । 14
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं। 15
- आपकी बेटी हमारी बेटी । 16
- कामकाजी महिला छात्रावास। 17
- सुकन्या समृद्धि खाता योजना। 18
- आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना। 19
- इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। 20
- समेकित बाल विकास सेवाएं योजना। 21
- स्वर्ण जयन्ती महिला पुरस्कार योजना। 22
- महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार। 23
- विधवा एवं निराश्रित गृह महिला आश्रम। 24
- ग्रामीण किशोरी बालिकाओं को पुरस्कार। 25
- महिलाओं के लिए खेल - कूद प्रतियोगिता। 26
- लाडली - सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम। 27
- घेरलू हिंसा के विरूद्ध महिला सुरक्षा अधिनियम। 28
- महिलाओं के लिये "वन स्टॉप केन्द्र" की स्थापना। 29
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र योजना। 30
- तेजाब से पीड़ित महिलाओं के लिए राहत तथा पुर्नवास योजना। 31
- सबला किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना। 32

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं के साथ होने वाले घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और महिलाओं की मदद के लिए शुरू किये हैं। इस योजना के तहत सरकार उन महिलाओं को कानून और चिकित्सा की सुविधा प्रदान करते हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करते हैं। ऐसा होने पर वे पीड़ित महिलाएं 181 पर कॉल कर सकती हैं।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

सुकन्या समृद्धि योजना

इस योजना के माध्यम से सरकार छोटी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किये हैं। इसके माध्यम से 10 साल से छोटी बच्ची को शिक्षा दिया जायेगा और उनकी शादी की आयु में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा। यह योजना खासतौर पर उनकी उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए 2015 में शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

यह योजना महिलाओ को रसोई की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था। इसके माध्यम से गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराते हैं और इसका लाभ भारत के करोड़ो परिवार ले चुके हैं। आप इसके **ऑफिशियल वेबसाइट** का भी अवलोकन कर सकते हैं।
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

इस योजना की शुरुआत 2019 को किया गया था इसके अंतर्गत प्रसव के दौरान माँ एवं बच्चे का अच्छे से देखभाल के लिए और उन्हें उचित पोषण प्रदान करने के लिए किया गया है। जिससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहे और नर्सों की देखभाल में प्रसव का कार्य हो।

फ्री सिलाई मशीन योजना

इस योजना के माध्यम से महिलाओ को आवेदन करने पर फ्री में सिलाई मशीन दिया जाता है जिससे वे कड़ाई – बुनाई करके अपना जीवन चला सके और आत्मनिर्भर बने। इसका लाभ शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाएं ले सकती है और उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिएइस **लिंक** का उपयोग करें।
प्रधानमंत्री समर्थ योजना

इस योजना के माध्यम से महिलाओ को कार्यों के बारे में जानकारी दिया जाता है जिससे महिलाएं नई – नई जानकारी ले सके। इससे महिलाएं भी बिजिनेस के क्षेत्र में कार्य कर पाएंगे और इसका फायदा महिलाओं को मिलेगा। जिससे महिलाएं खुद का व्यवसाय कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे।

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) के द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा (शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा) से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार की शिकार हो चुकी हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रहीं हैं|

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम (2013):- इस अधिनियम में सार्वजनिक और निजी, संगठित या असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।

समस्याएं एवं समाधान –

► सरकार द्वारा कम शिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए टी.वी., रेडियों के प्रसारण, चर्चा एवं परिचर्चा, समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं सम्पादकीय समन्वय पत्रों, रिसर्च जनरल, संगोष्ठी, सेमीनार आदि के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिएं। जिसके कारण लोगों तक जानकारी समय पर पहुंच सके।
► जिन लोगो को योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नही है तो कर्मचारियों का यह कत्र्तव्य है कि उन्हें यह जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए।
► योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए।
► योजनाओं को सशक्त बनाने के लिए औपचारिकताओं को कम करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

► योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सशक्त बनाने के लिए गांव एवं शहर कि गलियों में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करना चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सके।
► आम जनता , एवं कर्मचारियों , अधिकारियों के मध्य समन्वय होना चाहिए।
► योजनाओं द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन राशि समय पर दी जानी चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकारों व कत्र्तव्यों का ज्ञान करवाना चाहिए ताकि वे अपने खिलाफ हो रहे अन्याय तथा अत्याचारों के विरूद्ध लड़ सके। ताकि महिलाएं अपने आप को पुरूषों के समान समझे तथा समाज के उत्थान में योगदान दे सके।
► गरीब माता - पिता आर्थिक अनुदान कि राशि को लड़की की शिक्षा , एवं स्वास्थ्य पर खर्च नहीं करना चाहते। जब तक माता - पिता का अपनी बेटियों के प्रति मानसिकता में बदलाव नहीं आता और बालिकाओं को पराया धन या जिम्मेदारी समझना बन्द नहीं कर देते तब तक लिंगानुपात में कमी नहीं आ सकती।
► लड़कियों के जन्म के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म करना चाहिए।
► आंगनवाड़ी केन्द्रों की भूमिका को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए जिससें आंगनवाड़ी केन्द्र अधिक से अधिक योगदान दे सकें।
► सरकारी स्तर पर महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई है लेकिन उनकी जानकारी ग्रामीण महिलाओं को सही रूप न मिलने के कारण वे नतीजे नही मिल पाते जिसकी हम आशा करते है।
► सरकार के द्वारा विज्ञापनों के माध्यमों से उन महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होनें महिला सशक्तिकरण , कन्या भ्रूण हत्या , बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं इत्यादि योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देकर सशक्त समाज की स्थापना की है।
► अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोकतंत्र की भावना को समझते हुए नौकरशाही वाला व्यवहार बदलकर मानवीय मूल्यों कों अपनाना चाहिए व बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए। ताकि वे सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सके।

महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ

बिहार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार ने 2015 में महिला सशक्तिकरण नीति तैयार की है और लिंग संबंधी मुद्दों को देखने के लिए एक केंद्र (लिंग संसाधन केंद्र) को बढ़ावा दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

- पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण ने एक सामाजिक क्रांति की नींव रखी क्योंकि इसका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार, समान सामाजिक स्थिति और समान अवसर प्रदान करना था। इसने नीति निर्माताओं के रूप में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया।
- यह पहल पूरे देश में अग्रणी थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के चुनाव ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। बाद में इसी पैटर्न पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड का स्थान रहा।

आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार

- राज्य सरकार ने कार्य भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

- योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल पांच लाख रुपये ही चुकाने होंगे।
- महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा। अन्य को केवल एक फीसद ब्याज देना होगा।
- लोन चुकाने के लिए सात साल का समय मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
- यह योजना 18 जून 2021 को लॉन्च की गई है।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |
|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||
| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

- दरअसल, नए उद्यमियों के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति-जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला और सामान्य युवा के लिए चार अलग-अलग कोटियां निर्धारित की हैं। हर कोटि के लिए योजना के बाकी नियम तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन सबका कोटा अलग-अलग है।
- आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://udyami.bihar.gov.in/) है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

इस योजना के तहत सभी लड़कियों को जन्म से लेकर उनके स्नातक की डिग्री हासिल करने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये सहायता सरकार द्वारा बालिकाओं को उन्हें उच्च शिक्षा और विकास के लिए दी जाएगी।

कन्या के जन्म के समय	2000 /- रूपए
टीकाकरण के समय	1000 /- रूपए
बेटी के 1 वर्ष पूरे होने पर	2000 /- रूपए
बेटी के इंटर पास करने पर	25,000 /- रूपए
बेटी के स्नातक करने के बाद	50,000 /- रूपए

पहले इंटर पास करने वाली छात्राओं को सरकार द्वारा 10 हजार रुपये और ग्रेजुएशन या समतुल्य डिग्री पूरी करने पर 25 हजार रुपये दिए जाते थे। अविवाहित छात्राओं को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है।लेकिन अब इसके तहत मिलने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। इसके अलावा शिक्षा के साथ साथ उनकी अन्य जरूरतें भी पूरी की जाएंगी। जैसे की उनकी यूनिफार्म के लिए भी उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी।

कक्षा 1 से 2 (यूनिफार्म के लिए)	600 /- रूपए
कक्षा 3 से 5 (यूनिफार्म के लिए)	700 /- रूपए
कक्षा 6 से 8 (यूनिफार्म के लिए)	1000 /- रूपए
कक्षा 9 से 12 (यूनिफार्म के लिए)	1500 /- रूपए

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

सेनेटरी पैड्स (**मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना** के अंतर्गत)	300 /- रूपए

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण : 2020-2021

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

- लड़कियों और उनके अभिभावकों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना शुरू की गई है।
- कक्षा 1-8 में नियमित रूप से पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कक्षा I, II के लिए 600, कक्षा III से V के लिए 700 और कक्षा VI से VIII के लिए 1000 रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है।
- बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशक योजना वर्ष 2011-12 के बाद से राज्य सरकार के स्कूलों / इंटर कॉलेजों में कक्षा 9-12 में नियमित रूप से उपस्थित होने वाली लड़कियों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1500 रुपये की निश्चित राशि प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना

- कई लड़कियां मिडिल स्कूल के बाद पढाई बीच में ही छोड़ देती थीं क्योंकि हाई स्कूल उनके घर से दूर जगह पर स्थित थे।
- ऐसी लड़कियों की नियमित पढ़ाई की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना वर्ष 2007 में शुरू की गई।
- इस योजना के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को एकमुश्त 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

- सिविल सेवाओं के लिए महिला उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 रुपये और 1 लाख रुपये की राशि मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए BPSC या UPSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

- मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है।

जीविका

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसायटी (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society), जिसे जीविका के नाम से जाना जाता है, ने खुद को 1.27 करोड़ से अधिक परिवारों के जीवन को छूने वाले राज्यव्यापी आंदोलन में बदल दिया है।

- बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां महिलाओं द्वारा प्रबंधित 10 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) हैं। समूह 2007 से राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्व बैंक समर्थित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जीविका के तहत काम कर रहे हैं।
- जीविका के माध्यम से वर्ष 2007 से बैंकों के साथ क्रेडिट लिंकेज स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य छोटी बचत को बढ़ाना है। संस्थानों के निर्माण, क्षमता निर्माण और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

जननी बाल सुरक्षा योजना

- जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है। आशा और ममता जैसे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2011 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम के रूप में सुरक्षित मातृत्व वर्ष के रूप में मनाया। वर्ष 2006-07 में केवल 4 प्रतिशत महिलाएं ही संस्थागत प्रसव के लिए अस्पतालों में जाती थीं जो अब बढ़कर 47प्रतिशत हो गया है।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

- वर्ष 2005 में राज्य की शिशु मृत्यु दर 61 प्रति हजार जन्म थी जो वर्तमान में घटकर 35 प्रति हजार जन्म हो गई है। वर्ष 2005 में नियमित टीकाकरण प्रतिशत में 18.6 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 84 प्रतिशत हो गई। यह राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। मातृ मृत्यु दर जो वर्ष 2005 में 312 थी, 2018-19 में घटकर 165 हो गई। बिहार की महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा भी 2006 में 61.6 वर्ष से बढ़कर 2016 में 68.5 वर्ष हो गई है।
- बिहार सशस्त्र बलों की नई महिला बटालियन की स्थापना की गई है। सभी जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है। पुलिस बल में सिपाही से कनिष्ठ निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण प्रदान की गई है।

बिहार राज्य महिला अधिकारिता नीति, 2015

- महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उन्नति और उन्हें विकास की राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए बिहार राज्य महिला अधिकारिता नीति, 2015 को मार्च 2015 में अनुमोदित और अपनाया गया है।
- हिंसा से संबंधित कानूनों और कृत्यों पर क्षमता निर्माण और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर पैरवी करने के लिए लिंग संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है।
- कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए पटना जिले में कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास संचालित किया जा रहा है।
- परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से लड़कियों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए चंद्रगुप्त मौर्य प्रबंधन संस्थान में 2011 में स्थापित छात्र मार्गदर्शन केंद्र।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से चल रही है। यह योजना 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़कियों की शादी के समय गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को रोकने और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के कई उद्देश्य हैं।
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विकास, कानूनी जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एक महिला को राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा 38 महिला (प्रत्येक जिले से एक) को जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण पुरस्कार योजना। राज्य स्तर पर 1,00,000 (एक लाख)रु और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) की पूर्व संध्या पर हर साल एक प्रशस्ति पत्र के साथ जिला स्तर पर 50,000 (पचास हजार) रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
-

अन्य पहल (बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ)

- महादलित भूमिहीन परिवारों को भूमि क्रय कर योजना उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत परिवार की महिला सदस्य के नाम पर भूमि खरीदी जा रही है।
- बिहार में शराबबंदी के कारण बचत में वृद्धि हुई है और घरेलू शोषण में गिरावट आई है।
- किसी भी राज्य के लिए पहली बार क्या हो सकता है, बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने के लिए सरकार अगले विधानसभा सत्र में दो नए विधेयक बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय विधेयक और बिहार चिकित्सा शिक्षा विधेयक लाने की योजना बना रही है।
- राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुपालन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इससे लड़कियों की उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच होगी और जनसंख्या को स्थिर करने में भी मदद मिलेगी।
- वर्ष 2005 में कक्षा 10 की वार्षिक परीक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 67:33 था, जो अब लड़कियों की बेहतर शैक्षिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप 50:50 हो गया है।
- मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना (2009-10 से) के कार्यान्वयन ने 67 लाख से अधिक महिलाओं को साक्षर बनाया। 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता में 20 प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। महादलित, अल्पसंख्याक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना तथा उपरोक्त वर्ग के वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़ना है।

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

- 'हुनर' कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समूहों की हजारों लड़कियों को 20 विभिन्न व्यवसायों का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहायता करने के लिए 'औज़ार' कार्यक्रम के तहत टूल-किट भी प्रदान किए गए हैं।
- राज्य के 38 जिलों में 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत घरेलू हिंसा के पीड़ितों को मुफ्त मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन की स्थापना की गई है।
- किशोरियों (11-18 वर्ष) के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में 12 जिलों (पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, डब्ल्यू चंपारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका और मुंगेर) में सबला कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य फोकस किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाना, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूरक पोषण प्रदान करना है।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत 6000 रुपये का नकद प्रोत्साहन दो किश्तों में पहले गर्भवती महिलाओं को और फिर नर्सिंग माताओं को प्रदान करने के लिए है। वर्तमान में यह योजना वैशाली और सहरसा में संचालित है।
- प्रत्येक पंचायत (ग्रामीण) और वार्ड/वार्ड समूह (शहरी) में महादलित समुदाय के प्रभुत्व वाले विकास मित्रों का चयन। विकास मित्रों के चयन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार मनीष (2008), "महिला सशक्तिकरणः दशा और दिशा" मधुर बुक्स प्रकाशन, पृ0. स0. 7-9
2. भोजवानी सुनीता (2008), "भारत में महिला सशक्तिकरण" कम्पीटिशन सक्सेस रिव्यु, पृ0. स0. 59
3. सेतिया सुभाष (2008), "स्त्री सुस्मीता के प्रश्न" प्रकाशन कल्याणी शिक्षा परिषद नई दिल्ली, पृ. स. 169
4. वही पृ. स. 64
5. वही पृ. स. 65
6. चौधरी एम.पी. (2011), "महिलाएं सामाजिक अधिकार," प्रकाशक ठाकुर एण्ड सन्स, दिल्ली पृ. स. 131-32
7. महिला एवं बाल विकास विभाग (2014-15), "लाडलीं" सैक्टर 4 पंचकुला, पृ. स. 1-5
8. सारस्वत ऋतु (अक्तूबर 2006), "महिला अधिकारिताः एक विश्लेषण" योजना पृ. स. 41
9. गौतम मोनिका (2008), "अनावरण कथा महिला सशक्तिकरण" हरियाणा संवाद, मार्च 2018, पृ.स. 7
10. महिला एवं बाल विकास विभाग (2014), "महिला एवं बाल विकास की योजनाएं" प्रचार पुस्तिका सैक्टर 4 पंचकुला पृ. स. 1-5
11. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2016-17), "महिला एवं बाल विकास विभाग" हरियाणा सरकार पृ. स. 8
12. महिला सशक्तिकरण के लिए पहल, करूक्षेत्र, सितम्बर 2018, पृ.स. 61
13. सर्वोतम माता गौतम मोनिका (2018), "आवरण कथा महिला शकितकरण" हरियाणा सवांद पृ. स. 10
14. महिला एवं बाल विकास विभाग (2016), "महिला एवं बाल विकास की योजनाएं", प्रचार पुस्तिका, सैक्टर 34-ए चण्ड़ीगढ़
15. बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं (2015), "वुमन एण्ड चाईल्ड डैवल्पमैन्ट डिपार्टमैन्ट हरियाणा," सैक्टर-4 पंचकुला पृ0. स0. 1-5
16. महिला एवं बाल विकास विभाग (2015), "आपकी बेटी हमारी बेटीं" भारतीय जीवन बीमा निगम व समूह योजना विभाग जीवन प्रकाशन सैक्टर 17-बी चण्डीगढ़ पृ. स. 1
17. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2012-13) महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार पृ. स. 15
18. यादव पद्मा, ठाकुर स्वाती (2017), "विकास योजनाओं के केन्द्र में महिलाएं" कुरूक्षेत्र, पृ. स. 40
19. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2016-17), "महिला एवं बाल विकास विभाग" हरियाणा सरकार पृ. स. 8
20. चौरसिया धंजी, (2011), "रोजगार और स्वास्थ्य रक्षा से सशक्त हुई महिलाएं" कुरूक्षेत्र पृ. स. 18
21. वार्षिक प्रशासनिक रिर्पोट (2016-17), "महिला एवं बाल विकास विभाग" हरियाणा सरकार पृ. स. 5-6
22. वहीं पृ. स. 21

|e-ISSN: 2319-8753, p-ISSN: 2320-6710| www.ijirset.com | Impact Factor: 8.423| A Monthly Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 12, Issue 6, June 2023 ||

| DOI:10.15680/IJIRSET.2023.1206103 |

23 . महिला एवं बाल विकास विभाग (2018), " महिला एवं बाल विकास की योजनाएं " प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34- ए पंचकुला पृ . स . 5
24 . वार्षिक रिर्पोट (2012-13), " महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार , पृ . स . 18
25 . महिला एवं बाल विकास विभाग (2017), " महिला एवं बाल विकास की योजनाएं " प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34- ए चण्ड़ीगढ़ पृ . स . 2
26 . वार्षिक रिर्पोट (2015-16), " महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार , पृ . स . 19
27 . सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग , रोहतक।
28 . घरेलू हिंसा महिला सरक्षंण 2005 (2016), " हिंसा रहित घर , हर महिला का अधिकार , महिला एवं बाल विकास निदेशालय , पंचकुला हरियाणा पृ . स . 1-5
29 . गौतम मोनिका (2018), " अनावरण कथा महिला सशक्तिकरण " हरियाणा संवाद , मार्च 2018, पृ . स . 6
30 . महिला एवं बाल विकास विभाग (2017), " महिला एवं बाल विकास की योजनाएं " प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34- ए चण्डीगढ़ पृ . स . 1-5
31 . महिला एवं बाल विकास विभाग (2018), " महिला एवं बाल विकास की योजनाएं " प्रचार पुस्तिका सैक्टर 34- ए पंचकुला पृ . स . 2
32 . कृष्णा ऋषभ (2016), " बालिका सशक्तिकरण हेतु योजनाओं का आंकलन " कुरूक्षेत्र पृ . स . 11 .

INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.423

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

NISCAIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

9940 572 462 6381 907 438 ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

Scan to save the contact details